रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED NO. D(D)-72



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 103] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 3, 1979/फाल्गुन 12, 1900
No. 103] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 3, 1979/PHALGUNA 12, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1979

का. आ. 123(अ).—केन्द्रीय सरकार, डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 5क की उपधारा (3) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मद्रास पत्तन न्यास, मद्रास के उपाध्यक्ष को मद्रास डाक श्रम बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है और उक्त उपाध्यक्ष, श्री सेलवाराज को उक्त बोर्ड का अध्यक्ष नामनिर्दिष्ट करती है तथा यह भी निदेश देती है कि भारत सरकार के नौवहन और परिवहन (परिवहन पक्ष) मंत्रालय की अधिसूचना

सं. का. आ. 412(अ), तारीख 27 जून, 1978 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(1) "केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि सदस्य" शीर्ष के नीचे, मद 1 के सामने प्रविष्टि के स्थान पर, "उपाध्यक्ष, मद्रास पत्तन न्यास, मद्रास" प्रविष्टि रखी जाएगी,

(2) पैरा 2 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2. केन्द्रीय सरकार, मद्रास पत्तन न्यास, मद्रास के उपाध्यक्ष, श्री वी. सेलवाराज को उक्त बोर्ड का अध्यक्ष नामनिर्दिष्ट करती है।"

[फा. सं. एल. डी. एम./6/79-एल. 3]

बी. बी. महाजन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT
(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 1979

S.O. 123(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 5A of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), the Central Government hereby appoints the Deputy Chairman, Madras Port Trust, Madras, as a member of the Madras Dock Labour Board and nominates the said Deputy Chairman, namely Shri V. Selvaraj, as the Chairman of the said Board and further directs that the following amendments shall be made in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 412(E), dated the 27th June 1978, namely :—

In the said notification,—

(i) under the heading "Members representing the Central Government", for the entry against item 1, the entry "The Deputy Chairman, Madras Port Trust, Madras" shall be substituted;

(ii) for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"2. The Central Government hereby nominates Shri V. Selvaraj Deputy Chairman, Madras Port Trust, Madras, the Chairman of the said Board."

[F. No. LDM/6/79-L. III]

B. B. MAHAJAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978